राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2303/2006/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, अलवर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स विन्टेज डिस्टिलर्स लिमिटेड, अलवर. .....प्रत्यर्थी.

2. प्रत्याक्षेप संख्या – 413/2007/अलवर.

मैसर्स.विन्टेज डिस्टिलर्स लिमिटेड, अलवर. .....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, अलवर. .....अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से.

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से.

दिनांक : 28/09/2015

निर्णय

1. यह अपील व क्रॉस ऑब्जेक्शन उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 252/उपा–भरत/04–05/आरएसटी में पारित किये गये आदेश दिनांक 07.02.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, अलवर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 99–2000 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 30 एवं 68 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.12.2004 के विरूद्ध अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए आरोपित कर एवं ब्याज की पुष्टि की गयी तथा धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 1999–2000 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.10.2001 को पारित किया गया। उक्त आदेश से यह स्पष्ट नहीं होने पर कि व्यवहारी द्वारा स्प्रिट की कितनी खरीद किससे की गयी है, व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में जाहिर किया गया कि आलौच्य अवधि में उनके द्वारा स्प्रिट की खरीद मैसर्स ग्लोबस एग्रोनिक्स लिमिटेड, श्यामपुर, बहरोड़ से कर चुकी की गयी है,

लगातार.....2

जिसके लिये कोई एस.टी.17 प्रपत्र जारी नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स ग्लोबस एग्रोनिक्स लिमिटेड से जांच की जाने पर पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी मैसर्स विन्टेज डिस्टिलर्स लिमिटेड, अलवर द्वारा आलौच्य अवधि में दो घोषणा—पत्र एस.टी.17 संख्या क्रमशः 407989 रूपये 6,23,000/— एवं प्रपत्र संख्या 407988 से रूपये 21,89,250/— अर्थात् कुल रूपये 28,12,250/— की स्प्रिट की खरीद की गयी है। मैसर्स ग्लोबल एग्रोनिक्स द्वारा जारी बिलों में "Rates are inclusive of all taxes" अंकित पाया गया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के जवाब को मिथ्या एवं करापवंचन की मंशा मानते हुए, अधिनियम की धारा 30 के तहत आदेश दिनांक 13.12.2004 पारित करते हुए, उक्त खरीद रूपये 28,12,250/— पर एक प्रतिशत की दर से अन्तर कर रूपये 28,123/— ब्याज रूपये 33,326/— एवं शास्ति रूपये 56,246/— का आरोपण किया गया। व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 07.02.2006 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर व ब्याज की पुष्टि की गयी तथा धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपील संख्या 2303/2006 तथा प्रार्थी व्यवहारी द्वारा क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या 413/2007 पेश किया गया है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा अपने जवाब में माल कर चुका क्रय किया जाना दर्शाया गया तथा साथ ही यह भी कथन किया गया कि उनके द्वारा प्रपत्र एस.टी.17 पर कोई माल क्रय नहीं किया गया है, जबकि जांच में यह पाया गया कि विवादित माल स्प्रिट ENA मैसर्स ग्लोबस एग्रोनिक्स लिमिटेड, बहरोड़ से प्रपत्र एस.टी.17 के समर्थन से क्रय किया गया है तथा विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी बिल में "Rates are inclusive of all taxes" अंकित किया गया है तथा कोई कर दर अंकित नहीं की गयी है। इससे माल कर चुका नहीं माना जा सकता। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए, शास्ति पास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....3

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा त्रुटिवश/अज्ञानतावश यह बताया गया था कि उनके द्वारा कोई माल प्रपत्र एस. टी.17 के समर्थन नहीं खरीदा गया है। इसमें उनकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी। प्रत्यर्थी इकाई के नियमित कर निर्धारण के समय समस्त लेखा—पुस्तकें व प्रपत्र एस.टी.17 का रेकॉर्ड कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया, जिसके आधार पर नियमित कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था। प्रार्थी द्वारा जारी एस.टी.17 में कर दर का हवाला नहीं दिया गया था, विक्रेता मैसर्स ग्लोबस एग्रोनिक्स द्वारा जारी बिलों में कर दर अंकित नहीं करते हुए "Rates are inclusive of all taxes" अंकित किया गया है, जिससे यह प्रमाणित है कि उनके द्वारा देय समस्त कर अदा कर दिया गया है। यदि कर का कोई दायित्व है तो वह विक्रेता व्यवहारी पर है, ना कि क्रेता व्यवहारी पर। विद्वान अभिभाषक ने मैसर्स ग्लोबस एग्रोनिक्स लिमिटेड, बहरोड़ के वर्ष 1999—2000 के कर निर्धारण आदेश दिनांक (अस्पष्ट) की प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि विक्रेता व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में कम वसूल किये गये कर का आरोपण उक्त आदेश में किया जा चुका है। अतः प्रार्थी व्यवहारी पर किसी प्रकार की करदेयता शेष नहीं रहती है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 123 एस.टी.सी. 186 हिन्द सिन्टेक्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य** एवं **(1989) 74 एस.टी.सी. 288 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, पाली बनाम सोजत लाईम कम्पनी** प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार करते हुए प्रार्थी व्यवहारी का क्रॉस ऑब्जेक्शन स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को यह सूचना दी गयी कि उनके द्वारा कोई माल प्रपत्र एस.टी.17 पर क्रय नहीं किया गया है, जबकि जांच में यह पाया गया कि प्रार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स ग्लोबस एग्रोनिक्स लि. बहरोड़ से रूपये 28,12,250/— का माल प्रपत्र एस.टी.17 के समर्थन से क्रय किया गया है। पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी व्यवहारी द्वारा नियमित कर निर्धारण के समय लेखा—पुस्तकों व अन्य बहियात कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी थी, जिनके आधार पर नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा

लगातार.....4

नियमित कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया। तत्पश्चात जांच में यह पाया गया कि प्रार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स ग्लोबस एग्रोनिक्स को प्रपत्र एस.टी.17 जारी करते हुए माल क्रय किया गया है। विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी बिलों में "Rates are inclusive of all taxes" अंकित करना पाया गया एवं कोई विशिष्ठ कर दर अंकित नहीं की गयी। साथ ही यह भी पाया गया कि विवादित माल पर 3 प्रतिशत की दर से ही कर वसूल किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये **विक्रेता व्यवहारी मैसर्स ग्लोबस एग्रोनिक्स लिमिटेड के आलौच्य अवधि वर्ष 1999—2000 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.03. .....(वर्ष अस्पष्ट) अन्तर्गत धारा 30 रा.बि.क.अ.** के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विक्रेता व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 1999—2000 में घोषणा—पत्र एस.टी.17 पर बिक्रीत माल पर 1 प्रतिशत की दर से अन्तर कर का आरोपण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी व्यवहारी पर किया गया करारोपण दोहरे करारोपण की श्रेणी में आता है।

7. उक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर व ब्याज की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः आरोपित कर, ब्याज व शास्ति अपास्तनीय पायी जाती है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन्स स्वीकार किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज व शास्ति अपास्त किये जाते हैं।

9. निर्णय सुनाया गया।

28.09.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य